राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं0 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं0 0141–2227047 फैक्स नं0 0141–2227281
ई–मेलः jsecy.tad@gmail.com, Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ1(6)(181)लेखा / टीएडी / टीआरआई / 2020–21 जयपुर, दिनांक 31/03/2021

स्वीकृति सं0 74 / 2020–21

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय – वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर (TRI) द्वारा संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु प्राप्त राशि रूपये 08.89 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तातंरित कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग–(i) एकल पत्रावली क्रमांक एफ 1 (6) (181) लेखा / टीएडी / टीआरआई / 2020–21 में प्रेषित विभागीय प्रस्तावानुसार वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

(ii) भारत सरकार की स्वीकृति क्र. एफ. न. 11031 / 19 / 2020–TRI दिनांक 26.03.2021।

1.**स्वीकृति**– वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर (TRI) द्वारा संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं हेतु प्राप्त राशि रूपये 08.89 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी. खाते में हस्तातंरित कराने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

2. **योजना**–माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर (TRI) हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता ।

3. **वित्तीय वर्ष** – 2020–21

4. **राशि– 08.89 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख नवासी हजार) मात्र**

5. **बजट मद–**

माँग संख्या –30

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो तथा अल्प संख्यकों का कल्याण ।
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना।
(02)	जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओ हेतु सहायतार्थ अनुदान।
[16]	जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान(के.प्र. यो)
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (केन्द्रीय सहायता)।

6. राशि पीडी खाते में – राशि रू. 08.89 लाख आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जा येगी।

7. **शर्तेः–**

1. राशि का उपयोग उन्हीं कार्यक्रमों पर किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे।
3. स्वीकृति जारी होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत यदि कोई राशि शेष रहती है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. राशि का व्ययवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों / विभागों के खाते भारत सरकार / राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
6. राशि का व्यय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप किया जाएगा।
7. स्वीकृति से अर्जित चल / अचल सम्पत्ति का रहन / बेचान राज्य सरकार की अनुमति के बिना नही होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नही किया जायेगा।

9 विभाग इस राशि का व्यय करने में योजना से संबंधित दिशा–निर्देशों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करें।

10 भारत सरकार, जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रासांगिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें तथा राशि जिस उद्धेश्य एवं एक्टिविटिज के लिए स्वीकृत की गई है उसी पर व्यय किया जावे।

8. संलग्न– निल।

9. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:–

यह स्वीकृति वित्त (व्यय– I I) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 162100381 दिनांक 30.03.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

10. प्रतिलिपि–

1 प्रमुख सचिव–मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक–राज्यमंत्री,टीएडी/निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

2 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेखे)।

3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2)

4 निदेशक, वित्त (आय–व्ययक) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त स्वीकृत राशि रू. 08.89 लाख स्वीकृति में वर्णित प्रकार से उनके पी.डी. खाते में हस्तान्तरित करवाने हेतु प्रेषित है।

5 अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृति की प्रति संबंधित संस्थाओ को अपने स्तर से प्रेषित करने का श्रम करे।

6 जिला कलेक्टर उदयपुर।

7 वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कोषाधिकारी को बजट ऑनलाईन आईएफएमएस. स्थानान्तरण अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करें।

8 कोषाधिकारी, उदयपुर।

9 संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।

10 एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।

11 कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।

12 गार्ड फाईल।

11. आज्ञा से,

लेखाधिकारी

स्वीकृति सं0 74/2020–21
दिनांक – 31/03/2021